



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27626 वर्ष 2026

रूपेश @ रूपेंद्र

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : सौरभ पांडेय, सुरेश चंद्र पाण्डेय

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र पांडे और राज्य प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री इमरान खान की बात सुनी।
- यह दूसरा आवेदन निचली अदालत मुकदमे की सुनवाई के दौरान आईपीसी की धारा 302 के तहत, खैर पुलिस स्टेशन, जिला अलीगढ़, में केस क्राइम नंबर 194/2024 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह आवेदक की ओर से दायर की गई तीसरी जमानत याचिका है और उनकी पिछली दो जमानत याचिकाओं को इस न्यायालय ने मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया था, लेकिन वे इस तीसरी जमानत याचिका पर इस आधार पर जोर दे रहे हैं कि आवेदक इस मामले में 24.4.2024 से यानी पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में है, लेकिन आज तक मुकदमा समाप्त नहीं हो सका है।
- उन्होंने आगे कहा कि आरोपपत्र में कुल 20 गवाह हैं और आज तक केवल छह की ही जांच की जा सकी है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है और इसके शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है।
- उन्होंने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक किसी भी तरह से मुकदमे में देरी कर रहा है।
- उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का सात अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसने इस जमानत आवेदन में अपने पूरे आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है और कुछ मामलों में उसे बरी कर दिया गया है।
- उन्होंने आगे निवेदन किया कि अतः मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई तीसरी जमानत याचिका है, हालांकि वर्तमान मामले में आवेदक अप्रैल 2024 से अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जेल में है, लेकिन वह मृतक का पोता है और इसलिए उसके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और उस पर हत्या का मुकदमा चल रहा है जिसमें न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है, इसलिए केवल दो साल के कारावास के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

9. उन्होंने आगे यह भी कहा कि हालांकि, आवेदक के लंबे कारावास को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।

11. यह आवेदक की ओर से दायर की गई तीसरी जमानत याचिका है और उसकी पिछली दो जमानत याचिकाएं इस तथ्य पर विचार करने के बाद योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई हैं कि वह मृतक का पोता है और आरोप के अनुसार उसने मृतक को अपने वाहन से कुचल दिया था और घटना को चश्मदीदों ने भी देखा था।

12. याचिकाकर्ता ने इस तीसरी जमानत याचिका को इस आधार पर दायर किया है कि वह पिछले दो वर्षों से जेल में है और अब तक आरोपपत्र के कुल 20 गवाहों में से केवल छह की ही गवाही हो सकी है, जबकि उस पर हत्या का मुकदमा चल रहा है, जो एक जघन्य अपराध है और जिसमें न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है। इसके अलावा, मामले के तथ्यों को देखते हुए भी यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं।

13. इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को केवल दो साल से अधिक की कैद के आधार पर जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

14. तदनुसार, यह दूसरी जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

15. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक दो साल से अधिक समय से जेल में है, निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे को यथाशीघ्र, अधिमानतः आज पारित आदेश की प्रस्तुति/सूचना की तिथि से **सात महीने की अवधि के भीतर**, प्रतिदिन के आधार पर, कानून के अनुसार सख्ती से समाप्त करे, यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक अनुपालन के लिए **48 घंटों के भीतर** संबंधित जिला न्यायाधीश को इस आदेश की सूचना दें।

7 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Judgment. Not for Legal Use.